प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्श 2014 प्र0सु0रि0स0 04 दिनांक 8.04.2014

2. धारा 7 पी.सी. 1988

3. (क) अपराध की घटना : 8.04.14
   (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 8.04.2014 समय 1:30 पी0एम0.
   (ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 8

4. सूचना का प्रकार : लिखित

5. घटनास्थलः (क) पूर्व दि ाा 3 कि0मी0 सैक्टर–5, पंचकूला

6. ि ाकायतकर्ता / सूचनादाता
   नाम सोहन भार्मा
   पिता का नाम श्री तेलूराम भार्मा
   राश्ट्रीयता भारतीय
   व्यवसाय व्यपारी
   पता वासी गांव निगदु थाना बुटाना जिला करनाल, हाल मकान न0 90, सै0–26, पंचकूला ।

7. ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण
   अजीत कर्मचारी पोलयू ान बोर्ड सै0–5, पंचकूला
   लिंग पुरूश
   भाशा हिन्दी

8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :– सेवा मे श्री मान जी, प्रबन्धक, थाना विजिलैन्स, सै0–17, पंचकूला निवेदन है कि मै सोहन भार्मा पुत्र श्री तेलूराम भार्मा वासी.गांव निगदु थाना बूटाना जिला करनाल हाल वासी मकान न0 90, सैक्टर–26 पंचकूला ट्रिब्यून मित्र विहार का रहने वाला हूॅ। मै मै0 जय बाबा नागार्जून भठठे का मालिक हूॅ । जो कि भठठा गांव भेडों तहसील नारायणगढ़ थाना भाहजादपुर

जिला अम्बाला मे है जो इस भठठे कही जमीन मैने 10 वर्श के लिए लीज पर ले रखी है मैने अपने भठठे की हरियाणा स्टेट पोलू ान कन्ट्रोल बोर्ड की फीस पंचकूला दफतर मे कन्सैन्ट लेने के लिए फीस बजरिया (डी.डी)डिमाण्ड ड्राफट के तहत पहले टम्परेरी भरी है तथा अब रैगुलर कन्सैन्ट लेने के लिए 20,000रू0 फीस भरकर रैगुलर कन्सैन्ट के लिए अप्लाई दिनांक 13.3.14 को किया था मै अपने भठठे की रैगुलर कन्सैन्ट के बारे मे अजीत नाम के कर्मचारी को पोलू ान बोर्ड सैक्टर–5, पंचकूला मे जाकर मिला तो उसने मुझे रैगुलर कन्सैन्ट देने बारे रि वत तौर पर मांगे जो 50,000रू0 पहले फाईल तैयार करने व मेरे साईन करवाने बारे बाकि के 50,000रू0 रैगुलर कन्सैन्ट देने बारे मागें जिसमे मुझे फोन न0 9888327690 से मेरे फोन 8397900000 पर कई बार काल करके पैसे की मांग की है जिसने मुझे आज अपने दफतर मे 50,000रू0 लेकर लेने के लिए बुलाया है जिसको मै 50,000 रू0 बतौर रि वत रा ि ा नही देना चाहता तथा वह बिनना रि वत लिये मेरी फाईल की कन्सैन्टमैंट नही होने देगा जिसको मै रि वत लेते रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हॅू। जो मैने आपको 1000/1000 के नोट करन्सी 50 नोट कुल 50,000 पे ा कर दिये है। कृप्या कानूनी कार्यवाही की जाये । हस्ताः– सोहन ार्मा मकान न0 90, सैक्टर–26, पंचकूला कार्यवाही पुलिसः– आज मै उप पुलिस अधीक्षक मय प्रवाचक एच.सी. जगतार सिंह न0 1278 अम्बाला के हाजिर थाना के कार्यालय सै0–17, पंचकूला मे हॅू कि श्री सोहन भार्मा मुदई उपरोक्त ने लिखित दरखास्त मजबून उक्त मेरे पे ा की व इस दरखास्त के साथ 1000/1000 रू0 वाले 50 करन्सी नम्बरी नोट मेरे पे ा किये जिनकी सूची नोट अलग से तैयार की गई व गवाहन के साइन करवाये गये जो मजबून दरखास्त से सरेदस्त जूर्म 7 पी0सी0 एक्ट सरजद होना पाये जाने पर मुलाजमान जिसमे मु0 सि0 संजय कुमार न0 575 कुरूक्षेत्र, सी.–1 अं ाीपाल न0 873 यमुनानगर, ई.ए.एस.आई जसविन्द्र सिंह न0 238 यमुनानगर व सि0 कुलभूशण न0 1941 सोनीपत चालक गाड़ी एच.आर. 03 एल. 6883 के तफती ाी बैग हमरा लेकर मय मुदई को लेकर रवाना कार्यालय उपायुक्त महोदय पंचकूला का होता हॅू । उपायुक्त साहब से अनुमति रेड ली जाकर व डियूटी अफसर नियुक्त करवाकर तफती ा मुकदमा हजा अमल मे लाई जावेगी । हस्ताः– राजपाल उप पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला दिनांक 8.04.14 अज थाना उपरोक्त लेख पर अभियोग अंकितवार करके नकूलात प्रथम सूचना उच्च अधिकारीयों की सेवा मे व स्पै ाल रिपोर्ट सी.जे.एम. साहब पंचकूला व नकल मिसल मय असल तहरीर बर मौका बादस्त सि0 राजेन्द्र कुमार न0 1126 हिसार भेजी जा रही है । श्री राजपाल एच. पी.एस उप पुलिस अधीक्षक थाना रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला ।

हस्ता/–
निरीक्षक सुरे ा कुमार,
थाना रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला।